XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

4/9/11

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ का न्यायालय
राजस्व पुनरीक्षण वाद सं0– 86/2004
(धारा 21 B.P.P.H.T Act अन्तर्गत)

रघुनन्दन मंडल, पिता–स्व0 बिहारी मंडल, साकिन–रूपौली गोठ, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ ..... आवेदक

बनाम

1. राज्य

2. चन्देश्वरी राम, पिता–जागेश्वर राम, साकिन–रूपौली गोठ, थाना–जानकीनगर, जिला–पूर्णियाँ ..... विपक्षीगण

आ दे श

आवेदक अंचलाधिकारी, बनमनखी द्वारा बासगीत पर्चा वाद संख्या–12/2001–02 में दिनांक 30.06.2001 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया गया है। आवेदक का कथन है कि मौजा–रूपौली, खाता संख्या–720, खेसरा संख्या–479, रकवा–6 डिसमिल जमीन आवेदक को भूधारी से रजिस्टर्ड दान पत्र द्वारा दिनांक 10.01.1976 को प्राप्त हुआ और आवेदक जमीन का नामान्तरण करवा कर मालगुजारी रसीद भी कटाने लगा। विपक्षी संख्या–2 ने हल्का कर्मचारी, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक को मेल में लेकर उपरोक्त प्रश्नगत जमीन का बासगीत पर्चा प्राप्त कर लिया। विपक्षी प्रश्रय प्राप्त रैयत नहीं है बल्कि रेलवे कर्मचारी है तथा विपक्षी के पास अपना जमीन व घर भी है। अंचलाधिकारी द्वारा बिना जाँच किये तथा पर्चा निर्गत करने से पूर्व आवश्यक प्रक्रियाओं को नजर अन्दाज कर विपक्षी के नाम पर्चा निर्गत किया गया। उल्लेखनीय है कि हल्का कर्मचारी ने बिना अंचलाधिकारी के निर्देश के पर्चा हेतु प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा नियम के अनुकूल नहीं है। अतः विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने का आवेदक अनुरोध करता है।

विपक्षी का कथन है कि प्रश्नगत जमीन पर उनका दो खपरैल का एवं एक टीना का घर है। विपक्षी के पुत्र अरूण कुमार राम के नाम से इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत भी भवन बनाने हेतु राशि आवंटित हुआ है और लिंटर तक मकान बन गया है। इस प्रकार विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा नियमानुकूल है। आवेदक द्वारा प्रारम्भ किया गया यह वाद निर्वहन योग्य नहीं है। अतः विपक्षी निवेदन करता है कि आवेदक द्वारा प्रारम्भ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

निर्धारित तिथि दिनांक 01.07.2011 को दोनो पक्षों को सुना गया। आवेदक का कहना था कि निम्न न्यायालय द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई एवं विहित प्रक्रिया का पालन भी नहीं हुआ। मात्र राजस्व कर्मचारी के द्वारा स्थलीय जाँच किया गया। विपक्षी को खुद 2.50 एकड़ (ढाई एकड़) जमीन होने की भी बात आवेदक द्वारा कही गई।

सुनवाई के क्रम में विपक्षी द्वारा कहा गया कि विपक्षी को प्राप्त पर्चाधारी जमीन में ही इन्दिरा आवास निर्मित है। इस जमीन के अलावे उनके पास किसी तरह की जमीन उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 02.09.2011 को पुनः सुनवाई हेतु रखा गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के उपरान्त स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं इस पर किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ आवेदक का आवेदन को खारीज करते हुए वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता,
पूर्णियाँ